न्यायालयः— अपर जिला न्यायालय, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी	**—**	**सुन्दर लाल खारोल आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
सिविल मूल वाद संख्या	**—**	**158 / 2021 (65 / 2014)**
अनवान	**—**	**कालूराम बनाम दुलीचन्द**
सीएनआर नम्बर	**—**	**RJDK050016332021**

:—उपस्थिति :—

01. प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से	—	श्री मोहम्मद हनीफ, अधिवक्ता।
02. अप्रार्थी / वादीगण की ओर से	—	श्री अनिल जोशी, अधिवक्ता।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 मियाद अधिनियम

:: आदेश ::

दिनांक :—08.01.2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्तता के लिए सी.पी.सी), 1908 दिनांक 04.12.2025 का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.12.2025 को जवाब पेश किया।
2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 ने अपने प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया है कि वाद में प्रतिवादी संख्या 01 का देहान्त हो चुका है तथा वादी ने अपने न्यायालय कथनो में भी इसे स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त वादी ने अपने कथनो में प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द का मकान थोडी दूरी पर होना बताया है। हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द का देहान्त माह सितम्बर 2015 में हो चुका है तथा वादी को उपरोक्त तथ्य की भलीभाति जानकारी है।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में आगे अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के

बाद वादी द्वारा वाद एबेट होने से पूर्व प्रतिवादी दुलीचन्द की मृत्यु के 90 दिवस की अवधि में उसके कायम मुकान अभिलेख पर नही लाया गया है। जबकि वादपत्र पेरा संख्या 11 के अनुसार वाद में मुख्य अनुतोष ही प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द की मृत्यु के 90 दिवस के बाद वाद स्वतः ही एबेट हो चुका है। इसके अतिरिक्त आज दिनांक तक वादी द्वारा उक्त एबेटमेन्ट को अपास्त कराने बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर हस्तगत वाद को प्रतिवादी संख्या 1 की हद तक अबेट होने से अपास्त किया जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु कब हुई इसकी जानकारी वादी को नही थी तथा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने भी न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने की सूचना नही दी। दिनांक 04.12.2025 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना जरिये प्रार्थना पत्र दी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वादपत्र का स्वीकार कर इकबाली जवाब वादी के पक्ष में दिया है, जिससे वादी का वाद अबेट नही हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दोहरान करते तर्क प्रस्तुत किए है कि हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु सितम्बर 2015 में हो चुकी है। वादी ने दौरान कथन यह कथित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द की मृत्यु हो चुकी है तथा उसका मकान दुलीचन्द के मकान के पास ही है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द के मृत्यु के 90 दिवस में उसकी विधिक वारिसान को अभिलेख पर नही लाया है, जिससे उक्त वाद प्रतिवादी संख्या 1 की हद तक स्वतः एबेट हो चुका है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 की हद तक अपास्त करने का निवेदन किया।

6. इसका विरोध करते हुए अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दोहरान करते तर्क प्रस्तुत किए है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी नही थी। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1

के अधिवक्ता ने न्यायालय को उसके पक्षकार की मृत्यु होने बाबत सूचना नही दी। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के दावे को स्वीकार कर इकबाली जवाब वादी के पक्ष में पेश किया है। अन्त में प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपांत अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

8. प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर टिप्पणी करने से पहले सुसंगत विधि का अवलोकन किया जाए तो आदेश 22 नियम 9 सीपीसी निम्न उपबंधित करता हैः—

> **Order 22 rule 9. Effect of abatement or dismissal.**
> (1) Where a suit abates or is dismissed under this Order, no fresh suit shall be brought on the same cause of action.
> (2) The plaintiff or the person claiming to be the legal representative of a deceased plaintiff or the assignee or the receiver in the case of an insolvent plaintiff may apply for an order to set aside the abatement or dismissal; and if it is proved that he was prevented by any sufficient cause from continuing the suit, the Court shall set aside the abatement or dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit.
> (3) The provisions of section 5 of the Indian Limitation Act, 1877 shall apply to applications under sub–rule (2).

9. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 9 सीपीसी में प्रावधान है कि यदि यह साबित हो जाता है कि मृतक वादी/अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमा/अपील जारी रखने के लिए किसी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, तो अदालत उपशमन को रद्द कर देगी।

10. हस्तगत वाद में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाए तो वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पूर्व में अधिवक्ता नियुक्त रहे है तथा वे नियमित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरवी करते रहे है। परन्तु उक्त अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी आज दिनांक न्यायालय में प्रस्तुत नही की है। इस संबंध में सीपीसी के आदेश 22 नियम 10ए में स्पष्ट प्रावधान किए गए है, जो निम्न हैः

[10A. Duty of pleader to communicate to Court death of a party.—Wherever a pleader appearing for a party to the suit comes to know of the death of that party, he **shall** inform the Court about it, and the Court shall thereupon give notice of such death to the other party, and, for this purpose, the contract between the pleader and the deceased party shall be deemed to subsist.

11. पक्षकार की मृत्यु की सूचना देने के दायित्व के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Binod Pathak & Ors. vs. Shankar Choudhary & Ors**. Civil Appeal No. 7706 OF 2025 [2025 INSC 842] Date 14.07.2025 में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः—

"32. Rule 10A is intended to avoid delay in making an application for bringing legal representatives of the deceased party on record. It seeks to mitigate the hardship arising from the fact that a party to a suit may not come to know about the death of the other side during the pendency of the proceedings. In such a situation, it would be appropriate to ask the advocate of the party to give intimation of the death of the party represented by him so as to enable the other side to take appropriate steps.

***

42. In Gangadhar (supra), dealing with the object underlying Rule 10A, this Court observed that it was introduced to mitigate the hardship arising from the fact that the party to a suit or appeal, as the case may be, may not come to know about the death of the other party during the pendency of such suit or appeal. A suit or appeal takes years to come up for hearing and it is very difficult to expect the other party to be a watch–dog for day–to–day survival of his opponent. Then when the suit / appeal comes up for hearing, it comes to the light that not only one of the parties to the suit / appeal had died but the time for substitution had also run out and the suit or appeal had abated. It is with a view to avoid technicalities and to do full and complete justice that an important provision has been inserted in CPC, in the form of Order XXII Rule 10A, requiring the advocate appearing for the party to inform death of his client to the court so as to enable the other side to take appropriate steps to bring on record legal representatives of the deceased. For that purpose, a deeming fiction is introduced that the contract between the dead client and pleader will subsist to the limited extent to supply information to the court about the death of his client....."

12. इस प्रकार यह वैधानिक रूप से स्वीकृत स्थिति है कि किसी भी अधिवक्ता को उसके पक्षकार की मृत्यु होने पर, पक्षकार की मृत्यु की सूचना न्यायालय को देनी अनिवार्य है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर इस तथ्य की जानकारी न्यायालय में नही दी है। ऐसे में यह कमी स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता की रही है कि उसने पक्षकार की मृत्यु की जानकारी न्यायालय में नही दी। यदि वह पक्षकार की मृत्यु होने की जानकारी न्यायालय में देते एवं उसके बावजूद भी वादी पक्ष उसके विधिक वारीसान को वाद में संयोजित करने की कार्यवाही नही करता, तो यह माना जा सकता था कि वादी पक्ष ने लापरवाही की है।

13. सामान्य परिस्थितियों में यह दायित्व कदापि वादी पर नही अधिरोपित किया जा सकता है कि वह यह ध्यान रखे कि प्रतिवादी किस स्थिति में है अथवा जीवित है अथवा मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त भी सिविल प्रक्रिया संहिता वह प्रक्रिया है, जिसे न्याय को आसान बनाने और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सज़ा और जुर्माने के लिए कोई दंडात्मक कानून नहीं है।

14. सिविल प्रक्रिया संहिता के विवेचन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Sangram Singh vs Election Tribunal, Kotah, Bhurey Lal Baya** [1955 AIR 425] Date 22.03.1955 में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः

> ".....We must therefore direct our attention to that portion of the Civil Procedure Code that deals with the trial of suits. Now a code of procedure must be regarded as such. It is procedure, something designed to **facilitate justice** and further its ends: not a penal enactment for punishment and penalties; not a thing designed to trip people up. Too technical a construction of sections that leaves no room for reasonable elasticity of inter– pretation should therefore be guarded against (provided always that justice is done to both sides) lest the very means designed for the furtherance of justice be used to frustrate it....."

15. इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानो का विवेचन सदैव न्याय के असल आयामों को प्राप्त करने के उददेश्य को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। हस्तगत वाद साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर लम्बित है। ऐसे में वाद का

उपशमन निश्चित तौर पर समग्र न्यायनिर्णयन एवं विवाद्यको के गुणावगुण पर निर्धारण पर विपरीत प्रभाव डालेगा।

16. इसके अतिरिक्त भी हस्तगत वाद में मुख्य रूप से संविदा की पालना, बेचान मंसुखी व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष चाहा गया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि वाद को प्रतिवादी संख्या 1 की हद तक उपशमन कर दिया जाता है, तो भी वाद में *"Right to sue Survive"* करेगा। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 22 नियम 1 निम्न उपबन्धित करता हैः—

> **"Order XXII Rule 1. No abatement by party's death if right to sue survives.——**
> The death of a plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survives"

17. इस प्रकार संहिता में इस आदेश के प्रथम नियम में ही विधायिका ने यह स्पष्ट किया है कि जहॉ वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहां पक्षकार की मृत्यु होने से भी उपशमन नही किया जा सकता है। ऐसे में हस्तगत वाद में वाद लाने का अधिकार शेष रहने से भी प्रतिवादी संख्या 1 की हद तक वाद का उपशमन नही किया जा सकता है।

18. इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है।

— :: <u>आदेश</u> ::—

19. अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी दिनांक 04.12.2025 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन (राज.)

20. आदेश आज दिनांक 08.01.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन (राज.)